संख्याः—5425 / नौ—5—2018—449सा / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1—मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2—मिशन निदेशक(एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3—निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5—अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
6—अपर निदेशक, क्षेत्रीय पर्यावरण एवं अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—5 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2018

विषयः—नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल तथा सीवरेज कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज कनेक्शन हेतु आई0ई0सी0 तथा लाभार्थियों के Behavioral Change Management हेतु चयनित सिविल सोसाइटी संगठनों को देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (पेमेन्ट प्रोटोकॉल) / दिशा—निर्देश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1940 / नौ—5—18—360सा / 2016 दिनांक 31.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल तथा सीवरेज कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज कनेक्शन हेतु आई0ई0सी0 तथा लाभार्थियों के Behavioral Change Management हेतु चयनित सिविल सोसाइटी संगठनों को देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु (पेमेन्ट प्रोटोकॉल) / दिशा—निर्देश से संबंधित है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.05.2018 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों में संशोधन करते हुए यह निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:—

(i) CSOs, MCSOs तथा स्टेट सपोर्ट यूनिट के होने वाले भुगतान को कार्य के सापेक्ष संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। पेयजल संयोजन तथा सीवर संयोजन का भुगतान जहॉ जल संस्थान है, वहॉ यह उनके द्वारा किया जायेगा। व्यक्तिगत शौचालय तथा पेयजल वह सीवरेज कनेक्शन के कार्यो का निकाय जहॉ जल संस्थान नहीं है, उनका भुगतान स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। नमामि गंगे आईईसी के अन्तर्गत भुगतान SPMG द्वारा राज्य स्तर से किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(ii) संबंधित मिशन निदेशक (नमामि गंगे को छोड़कर) IEC/पब्लिक आउटरिच/प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि स्थानीय निकाय/जल संस्थान को उपलब्ध करायेंगे जो CSOs द्वारा कराये गये कार्य के सत्यापन के उपरांत डिजिटली बैंक एकाउण्ट के माध्यम से धनराशि CSOs/ MCSOs /SSU के खाते में अंतरित करेंगे।

(iii) CSOs द्वारा कराये गये कार्यो को 5 प्रतिशत मौके पर सत्यापन MCSOs द्वारा किया जायेगा तथा 1.5 प्रतिशत सत्यापन SSU द्वारा किया जायेगा।

(iv) नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा योजना के अन्तर्गत प्रयागराज, कानपुर, नरौरा एवं अनूपशहर की योजनाओं में आई0ई0सी0 फण्ड स्वीकृत किया गया है, जिसमे प्राविधानित धनराशि का व्यय हाउस सीवर कनेक्शन हेतु CSOs/SSU पर किया जायेगा।

(v) बडे शहरों में नालों के किनारे बने घरों में शौचालय से पाईप लाइन सीधे नाले में डाले गये है, इन गृह स्वामियों को प्रेरित कर, इनकों सैप्टिक टैंक का निर्माण कराये जाने अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन कराये जाने हेतु भी CSOs की सेवायें ली जायेगी। शहरी निकायों में ऐसे घर जिनमें अभी तक SBM(U) के तहत व्यक्तिगत शौचालय नहीं बन पाये हैं, उनके यहॉ शौचालय निर्माण के लिए भी कार्य किया जायेगा।

(vi) पेयजल कनेक्शन,व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा सीवरेज कनेक्शन के क्षेत्र में कार्य की गुणवत्ता व प्रगति CSOs द्वारा किये जाने वाले थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन के जरिये बढ़ायी जायगी।

(vii) CSOs द्वारा ऐसे लोगो की सूची पहले ही तैयार कर स्थानीय निकाय, राज्य स्तरीय निदेशालय व स्टेट सपोर्ट यूनिट को उपलब्ध करायी जाये, जिनके यहॉ पेयजल कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन व व्यक्तिगत शौचालय के कार्य होने है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त CSOs अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसका सत्यापन स्थानीय निकाय स्तर से किया जायेगा, जिन नगर निगमों, जल संस्थान है, वहॉ यह कार्य संबंधित जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(viii) क्लीरियेंस व पेमेंन्ट में अधिक समय व्यर्थ न हो इसके लिए आई0टी0 का उपयोग करते हुए ई–इनवायस व ई–पेमेंट की व्यवस्था बढ़ायी जाये।

भवदीय,
Manoj 12.1.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–5425(1)/नौ–5–18 एवं दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

3–समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4–समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6–गार्ड फाईल, कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
Manoj 2.1.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner